

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु माननीय स0वि0प0, ड00 एन0 के0 यादव द्वारा अनुशंसित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 1367, दिनांक 08.12.2014 के द्वारा इस कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है।

सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित योजनाओं पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में अग्रलिखित शर्तों के साथ निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड	तकनीकी स्वी0 राशि	प्रशासनिक स्वी0 की राशि	प्राक्कलन संख्या
1	2	3	4	5	6
01	मुंगेर नगर निगम में वार्ड नं0-07 में श्यामपुर दुर्गास्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रकाश साह के घर तक पक्की नाला का निर्माण ढक्कन सहित	नगर निगम, मुंगेर।	150300.00	150300.00	MN001
02	मुंगेर नगर निगम वार्ड में बी0आर0एम0 कॉलेज गेट से मुख्य भवन तक पी0सी0सी0 रोड का निर्माण	नगर निगम, मुंगेर	635990.00	635990.00	MN003
योग-			786290.00	786290.00	

प्रशा0 स्वी0 की कुल राशि मो0-786290.00 (सात लाख छियासी हजार दो सौ नब्बे) रु0 मात्र।

शर्तें-

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
- योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
- योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

②

10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया जा रहा है।
11. योजना का एन0ओ0सी0 संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेशो का अनुपालन करेंगे।

30 -

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

- ज्ञापांक 701 / जि0यो0, दिनांक 16/12/14
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- डॉ0 एन0के0 यादव, माननीय स0वि0प0 को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।